भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2009

जिसका उत्तर 23 दिसम्बर, 2022 को दिया जाना है।

2 पौष, 1944 (शक)

चेहरा पहचानने की तकनीक

2009. श्री मुजीबुल्ला खान:

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चेहरा पहचानने की तकनीक और उसके द्वारा प्रबंधन संबंधी विनियमों, यदि कोई हो, की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) चेहरा पहचानने की तकनीक के लिए विनियमों और दिशानिर्देशों की कमी के क्या कारण हैं?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री राज्य मंत्री (श्री राजीव चंद्रशेखर)

(क) और (ख) : सरकार की नीतियों का उद्देश्य अपने प्रयोक्ताओं के लिए एक खुला, सुरक्षित और विश्वसनीय और जवाबदेह इंटरनेट सुनिश्चित करना है। इंटरनेट के विस्तार के साथ, अधिक से अधिक भारतीय ऑनलाइन जुड़ रहे हैं, बायोमेट्रिक सूचना से चेहरे की पहचान में वृद्धि हुई है, जिसमें चेहरे की पहचान तकनीक के उद्देश्यों के लिए सृजित की गई सूचना भी शामिल है।

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 43क में प्रावधान है कि एक निगमित निकायजो अपने स्वामित्व वाले या नियंत्रित या संचालित कंप्यूटर संसाधन में किसी भी संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा या सूचना को रखता है या उसका सौदा या संचालन करता है, वह उचित सुरक्षा प्रथाओं और प्रक्रियाओं को लागू करने और बनाए रखने में लापरवाही के कारण किसी भी व्यक्ति को गलत तरीके से नुकसान या गलत लाभ पहुंचाने के लिए प्रभावित व्यक्ति को क्षतिपूर्तिदेने हेतु उत्तरदायी है। सरकार ने उक्त धारा के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा या सूचना के साथ-साथ अनुपालन की जाने वाली उचित सुरक्षा प्रथाओं और प्रक्रियाओं के बारे में नियम निर्धारित किए हैं। इनके अनुसार, संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा या सूचना में बायोमेट्रिक सूचना भी शामिल है, और बायोमेट्रिक्स में ऐसी प्रौद्योगिकियां शामिल हैं जो चेहरे के पैटर्न को मापती हैं और उनका विश्लेषण करती हैं। उचित सुरक्षा प्रथाओं और प्रक्रियाओं में अंतर्राष्ट्रीय मानक आईएस/आईएसओ/आईईसी 27001 या डेटा संरक्षण हेतु सर्वोत्तम प्रथाओं के सरकार द्वारा अनुमोदित कोड और एक व्यापक प्रलेखित सूचना सुरक्षा कार्यक्रम और सूचना सुरक्षा नीतियां शामिल हैं जिनमें प्रबंधकीय, तकनीकी, परिचालन और भौतिक सुरक्षा नियंत्रण उपाय शामिल किए गए हैं जो व्यवसाय की प्रकृति के साथ संरक्षित की जा रही सूचना परिसंपत्तियों के

अनुरूप हैं। इस प्रकार, चेहरे की पहचान तकनीक को विनियमित करने और ऐसी तकनीक से संबंधित डेटा को प्रबंधित करने के लिए कानून मौजूद है।

इसके अलावा, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2022 नामक शीर्षक सेएक मसौदा विधेयक तैयार किया है और अपने सार्वजनिक परामर्श अभ्यास के हिस्से के रूप में जनता से प्रतिक्रिया आमंत्रित की गई है।

*****